कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्रीन टेक सोलर सिस्टम, सिविल लाइन, देवरिया।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**028 / 16, 14.12.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी, अधिकृत प्रतिनिधि।**
टिन नं0	**09520302253**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री ग्रीन टेक सोलर सिस्टम, सिविल लाइन, देवरिया द्वारा दिनांक 14.12.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

1. ई-रिक्शा बैट्री चालित ई-रिक्शा और उसके स्पेयर पार्ट उत्तर प्रदेश से बाहर से आयात करने पर उ0प्र0 वैट क्या लगेगा, वैट दर क्या होगा ?

2. यह कि मात्र सोलर पैनल 5 वा0 से 300 वा0 पर उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात करने पर उ0प्र0 वैट लगेगा।

3. यह कि सोलर उपकरण बनाने हेतु नट, बोल्ट, एमएस-एंगिल पटिया, स्टील ट्यूब पाइप को सोलर उपकरण में प्रयोग करने पर उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात पर या उत्तर प्रदेश के व्यापारी से क्रय करने पर यू0पी0 वैट लगेगा।

4. यह कि सोलर इन्वर्टर, सोलर पी0सी0यू0 प्रान्त बाहर या प्रान्त अन्दर से क्रय करने पर यू0पी0 वैट लगेगा।

5. यह कि न्यूनिरेबल इनर्जी डिवायस एण्ड स्पेयर पार्ट जिसका कमोडिटी कोड-2ए 10800 है। उक्त आइटम में कौन सा पार्ट आता है और कौन-कौन सा मुख्य उपकरण जिसका वैट शून्य है।

6. यह कि स्टोरेज बैट्री जो स्पेशल सोलर लिखकर कम्पनी द्वारा 20 एएच से 200 एएच तक आता है प्रान्त बाहर से नियमानुसार सी0एस0टी0 देकर आयात करने पर उ0प्र0 वैट क्या देय होगा और कितने प्रतिशत वैट दर होगा।

7. यह कि प्रान्त बाहर से आयात स्टोरेज बैट्री लुमिनस, एक्साइड, एलटिमा, ओकाया, दिल्ली के व्यापारी से सोलर प्लेट सुराना एवं अन्य हैदराबाद से आयात करते हुए C.S.T. 2% देते हुए अपने उत्तर प्रदेश में अपने शॉप से एक साथ दोनों प्रोडक्ट बैटी + पैनल सेल इनवायस अथवा टैक्स इनवायस के माध्यम से बिक्री करने पर क्या उ0प्र0 वैट लगेगा या नहीं लगेगा वैट कितने-कितने प्रतिशत देय होगा।

8. यह कि सोलर स्ट्रीट लाइट या सोलर हाईमास्ट जिसमें निम्न पार्टों का प्रयोग कर बनाया जाता है, स्टील ट्यूब, सोलर स्टोरेज बैट्री, नट, बोल्ट, पी0वी0सी0 सोलर बैट्री, बाक्स, वायर कापर, सोलर एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट 6 एम्पियर चार्ज कन्ट्रोलर वाला, सोलर पैनल एक साथ बेचने पर सोलर स्ट्रीट लाइट अथवा बड़ा क्षमता बनाकर सोलर हाईमास्ट तैयार करने पर उपरोक्त समस्त पार्ट प्रान्त बाहर से अलग-अलग आयात कर 2% सी0एस0टी0 देकर फार्म-38 के माध्यम से मंगाने पर अथवा उत्तर प्रदेश के व्यापारी से न्यू रिनेवल का पार्ट दर्शाकर लेने पर क्या उ0प्र0 वैट देय होगा या नहीं अगर पार्ट पर देय होगा वैट दर क्या-क्या होगा स्पष्ट उत्तर प्रदान करें।

9. यह कि सोलर कृषि पम्प ए0सी0 और डी0सी0 दो प्रकार के आते हैं जिसमें सोलर पैनल, स्ट्रैक्चर, ए0सी0 कन्वर्टर, डी0सी0 कन्वर्टर, ए0सी0 कापर वायर (सोलर वायर) ए0सी0 मोटर या डी0सी0 मोटर, नट बोल्ट

आदि लगते हैं। कृषि सोलर पम्प बनाकर बिक्री किया जाता है। क्या इन पार्टों पर उ0प्र0 वैट होगा अगर होगा तो वैट दर क्या होगा।

10. यह कि क्या किसी उ0प्र0 के बाहर की कम्पनी जिसका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में डिपो हो और उत्तर प्रदेश में उक्त डिपो के माध्यम से उन डीलर को सोलर पैनल, सोलर चार्ज कन्ट्रोलर, सोलर बैट्री का कम्बो पैक बनाकर वैट शून्य कर बिलिंग करता हो और उत्तर प्रदेश की कम्पनी के ही डीलर कम्पनी के माध्यम से मात्र सोलर बैट्री 2% सी0एस0टी0 देकर आयात करते हुए फार्म-38 से मात्र सोलर बैट्री मंगाकर बिना वैट के या बैट्री पर पैनल लगाकर बिलिंग उत्तर प्रदेश में करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश का वैट बैट्री पर देय होगा और जब कम्पनी का डिपो उत्तर प्रदेश में है। उन डीलर को डिपो वाले सोलर इन्वर्टर, पैनल बिलिंग करते रहते हैं तो फिर कम्पनी डिपो क्या उसी डीलर को सोलर बैट्री स्वतन्त्र बिल दिल्ली के अपने डिपो के माध्यम से 2% सी0एस0टी0 लेकर कर सकती है। स्पष्ट उत्तर प्रदान करें (जैसे वैट, टिन-09588900748 है)।

11. यह कि साधारण स्टोरेज बैट्री और शाइनवेव या नार्मल इन्वर्टर एक साथ टैक्स इनवाइस के माध्यम से मैन्युफैक्चर से बिल अथवा अधिकृत विक्रेता से बिल C.S.T. 2% देकर आयात करने पर फार्म के माध्यम से इन्वर्टर बैट्री एक साथ बिक्री करने पर वैट दर क्या होगा।

12. यह कि न्यूरिनेबल इनर्जी डिवाइस एण्ड स्पेयर पार्ट पर करमुक्त अधिसूचना जारी होने के बाद क्या वाणिज्य कर में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 22-01-19 के लिए नोटिस जारी की गई थी। सुनवाई हेतु फर्म की तरफ से निर्मल कुमार त्रिपाठी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. वैट अधिनियम की धारा-59 में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तभी धारा-59 के प्रावधान लागू होता है।

असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, देवरिया ने अपने पत्र संख्या 325 दिनांक 31-12-2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि फर्म की वर्ष 2016-17 के अतिंम कर निर्धारण धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई है। कर निर्धारण की कार्यवाही चल रही है।

मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना पत्र, पत्रावली तथा अधिकारी की प्राप्त आख्या आदि का अवलोकन किया गया, पाया गया कि फर्म का कर निर्धारण स्तर पर मामला चल रहा है। वैट अधिनियम की धारा-59 में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तभी धारा-59 के प्रावधान लागू होता है। अतः व्यापारी का धारा-59 का प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 25 जनवरी, 2019

ह0/ 25-01-2019

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।